उमर खाँ बनाम सरकार मु०नं० -२०/२०२१

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15-6-2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व लैण्ड होल्डर उपस्थित है। लैण्ड होल्डर बाजदायरी प्रा०पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं कर इस पर सीधे ही बहस करना चाहते हैं। अतः बाजदायरी प्रा०पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रा० दि० 22-6-2021 को पेश हो।	
22-6-2021	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित हैं। बाजदायरी प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:12:10 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
20/2021	15.04.2021	22-6-2021

उमर खॉ पुत्र बली मोहम्मद, मुसलमान नि. शेड रोड, गंगापुर सिटी ——प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत निरस्त किये जाने एकतरफा कार्यवाही दिनांक 17.12.2019 व एकतरफा डिक्री दिनांक 9.2.2021 न्यायालय हाजा मुकदमा नम्बर 96/2019 उनवानी सरकार बनाम उमरखॉ, धारा 177 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः श्री मोहम्मद इस्लाम एडवोकेट, प्रार्थी की ओर

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी, अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. इस आशय का प्रस्तुत किया है कि तहसीलदार गंगापुर सिटी ने एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि भूमि ख0न0 596/473 रकबा 0.45 है0 उमर खॉ पुत्र बली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी राजीव कॉलोनी गंगापुर सिटी की खातेदारी मे अंकित है लेकिन खातेदार ने इस भूमि को अकृषि मे परिवर्तित कर दिया है। इसलिए इस भूमि को सिवायचक अंकित किया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थी को नोटिस जारी किये गये लेकिन प्रार्थी की प्रोपर तामील हुए बिना ही दिनांक 17.12.2019 को प्रार्थी के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश प्रदान कर दिये गये तथा दिनांक 9.2.2021 को डिक्री पारित कर प्रार्थी की उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये गये। जिसकी प्रार्थी को कोई जानकारी नही थी। एकतरफा आदेश व एकतरफा डिक्री की जानकारी प्रार्थी को अदालत हाजा से भूमि को सिवायचक दर्ज करने के लिए तहरीर जाने की दिनांक 26.2.2021 को हुई है। अतः प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि अदालत हाजा का पारित निर्णय नियम विरूद्ध है। अदालत हाजा ने प्रार्थी की प्रोपर तामील हुए बिना ही प्रार्थी के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही कर दी जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है। प्रार्थी ने उक्त भूमि को अकृषि मे परिवर्तित नही किया है बल्कि प्रार्थी ने अपनी भूमि मे ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाने के लिए मोरम डालकर रास्ते का निर्माण किया है। मात्र इस आधार पर अदालत हाजा ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 16:12:10 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सत्य मानकर निर्णय करने मे कानूनी भूल की है। भूमि मे प्रार्थी का हित निहित है। इसलिए प्रार्थी के विरूद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही, निर्णय व डिक्री निरस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. स्वीकार फरमाया जाकर एकतरफा कार्यवाही व एकतरफा डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र, नकल आदेशिका, नकल निर्णय दिनांक 9.2.2021, नकल प्रार्थना पत्र तहसीलदार गंगापुर सिटी धारा 177 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत किये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया।

अप्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र का कोई जबाब प्रस्तुत नही किया गया एवं सीधे ही बहस का निवेदन किया गया।

बहस विद्वान वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार गंगापुर सिटी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थनापत्र के अनुसार बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। इस भूमि को धारा 90 ए भू राजस्व अधिनियम के तहत अकृषि प्रयोजनार्थ परिवर्तित कराने हेतु प्रार्थी ने स्वयं ने नगर परिषद गंगापुर सिटी मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर नगर परिषद गंगापुर सिटी द्वारा दिनांक 19.3.2021 को इस भूमि को धारा 90 क भू राजस्व अधिनियम के तहत आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु स्वीकृति प्रदान की है। इस आवेदन मे पूर्व में तहसीलदार गंगापुर सिटी ने भी भूमि के सम्बन्ध मे अपनी अनापत्ति आयुक्त नगर परिषद को प्रेषित की थी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने धारा 90 क भू राजस्व अधिनियम के तहत वादग्रस्त भूमि को आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग मे लेने हेतु नगर परिषद गंगापुर सिटी द्वारा जारी की गई स्वीकृति आदेश की प्रति भी प्रस्तुत की है। अपनी बहस मे वकील प्रार्थी ने आगे कहा कि न्यायालय द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 17.12.2019 को की गई एकतरफा कार्यवाही एवं दिनांक 9.2.2021 को पारित निर्णय की जानकारी [illegible] मे कभी नही हुई थी। आदेश दिनांक 9.2.2021 की पालना के लिए तहसीलदार गंगापुर सिटी को पत्र जारी करने के पश्चात ही दिनांक 26.2.2021 को प्रार्थी को जानकारी हुई है इसलिए प्रकरण मे डिले कन्डोन करते हुए आदेश दिनांक 9.2.2021 व आदेश दिनांक 17.12.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:12:10 IST
Reason: Self Attested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

उप जिला कलेक्टर एवं सहायक कलेक्टर ... सत्यमेव जयते

[illegible]
[illegible] पर वादग्रस्त भूमि को सिवायचक दर्ज किये जाने हेतु धारा 177 आर. [illegible] के तहत प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत किया गया था। जिसमे प्रार्थी को नोटिस की तामील होने के पश्चात ही प्रार्थी के विरूद्ध अदालत हाजा द्वारा एकतरफा कार्यवाही आदेश दिनांक 17.12.2019 एवं एकतरफा निर्णय दिनांक 9.2.2021 पारित किये गये है जो नियमानुसार है। प्रार्थी ने देरी से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई कारण भी अंकित नही किया है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार कर बाजदायरी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे रही है तथा इस भूमि को धारा 90 क भू राजस्व अधिनियम के तहत आवासीय प्रयोजन हेतु उपयोग मे लेने के आदेश नगर परिषद गंगापुर सिटी द्वारा दिनांक 19.3.2021 को जारी किये गये है। वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थी का हित निहित है, यह स्पष्ट है। आदेश की जानकारी प्रार्थी को देरी से होने के सम्बन्ध मे प्रार्थी ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथपत्र भी प्रस्तुत किया है। भूमि मे प्रार्थी का हित निहित होने के कारण प्रार्थी को सुनवाई के पश्चात ही आदेश पारित किया जाना विधि अनुकूल है क्योकि प्रकरण मे प्रार्थी की भूमि खातेदारी से कम होकर राज्य सरकार मे निहित हो रही है। फलस्वरूप न्यायहित में प्रार्थी के विरूद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही एवं प्रार्थी के विरूद्ध जारी एकतरफा निर्णय निरस्त किये जाकर प्रार्थी को सुना जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 96/2019 उनवानी सरकार बनाम उमर खॉ अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट मे प्रार्थी उमर खॉ के विरूद्ध दिनांक 17.12.2019 को की गई एकतरफा कार्यवाही एवं दिनांक 9.2.2021 को जारी एकतरफा आदेश निरस्त किये जाते है तथा मूल प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रार्थी को विधि अनुसार जबाब दावा प्रस्तुत कर सुनवाई का अवसर दिया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:12:10 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)